

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-311/14
संस्थापित दिनांक-06.06.2014
filling no. 235103005022014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- शिमलाबाई उर्फ प्रभा पत्नी पूरन आदिवासी उम्र 48 साल 2- प्रकाश पुत्र पूरन उम्र 29 साल निवासीगण- ग्राम गोधन चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 07.11.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498(ए), 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 23.05.2014 के करीब 1 साल पूर्व से थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम गोधन में फरियादिया राजवती के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादिया दहेज की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं राजवती को अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उस आशय के अग्रसरण में फरियादीया राजवती की चांटे मारकर व धक्का देकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी राजवती की शादी आरोपी प्रकाश से हुई थी। प्रकरण में यह उल्लेखनिय है कि दिनांक 07.11.2017 फरियादी एवं आरोपीगण द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, राजीनामा अनुसार आरोपीगण को धारा 323/34 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी राजवती ने अपने भाई मजबूत सिंह के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी शादी 3 साल पहले प्रकाश आदिवासी निवासी गोधन के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी, उसके पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज में बर्तन, कपड़े, साड़ी, नगद 5000/-रुपये दिये थे दो साल तक अच्छे से रखा, उसके बाद उसके पति कहने लगे

कि तू अच्छी नहीं है, वह तो दूसरी शादी करेगा, उसके मां बाप ने शादी में कुछ दान दहेज नहीं दिया है। दहेज में कम सामान दिया है व उसे परेशान करने लगे, दुसरी शादी कर ली है, उसने प्रकाश से एक लकड़ी पैदा हुई है, तीन दिन पहले वह अपने मायके से ससुराल बच्ची को लेकर आई तो उसे घर से बाहर कर दिया, उसकी सास ने धक्का दिया और सास परेशान करने लगी पति ने दो चाटे मार दिये, उसे उसकी सास व पति दोनो मानसिक रूप से परेशान करने लगे। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्तगण द्वारा शादी के बाद से दिनांक 23.05.2014 के करीब 1 साल पूर्व से थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम गोधन में फरियादिया राजवती के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादिया दहेज की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया?
----	---

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— राजवती अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है, आरोपी प्रकाश उसका पति है और आरोपी शिमलाबाई उसकी सास है। उस विवाह प्रकाश के साथ हिन्दू रिति रिवाज से 7 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार शादी में दान दहेज आदि दिया था। ससुराल में उसे करीब 2 साल तक अच्छे से रखा, उसके बाद खाना बनाने आदि को लेकर उसकी, उसके पति प्रकाश एवं सास शिमलाबाई से कभी कभार वाद विवाद हो जाता था। इसके अलावा आरोपीगण ने कभी कोई घटना उसके साथ कारित नहीं की। उसकी एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 4 साल है। उसने उक्त घटना के संबंध में थाना चंदेरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्र.पी.1 है। पुलिस घटना स्थल पर गई थी और घटना का नक्शामौका प्र.पी.2 बनाया था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से न्यायालय की अनुमति से सूचक

प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि उसके पति शादी के 2 साल बाद उससे कहने लगे कि तु अच्छी नहीं है मैं दुसरी शादी करूंगा, तेरे मां बाप ने शादी में कुछ दान दहेज नहीं दिया, दहेज में कम सामान दिया है। इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण उसे परेशान करने लगे। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी प्रकाश ने दुसरी शादी कर ली है अथवा नहीं। राजवती अ0सा01 ने बताया कि वह उसकी स्वेच्छया से उसकी बच्ची को लेकर मायके आ गई थी। इस बात से इंकार किया कि जब वह ससुराल बच्ची को लेकर गई थी तो उसे घर से बाहर कर दिया था, और सास ने मुझे धक्का दे दिया और सास परेशान करने लगी। इस बात से इंकार किया कि पति ने दो चांटे मार दिये। इस बात से इंकार किया कि उसे उसकी सास व पति मानसिक रूप से परेशान करने लगे। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 का ए से ए एवं बी से बी तथा पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए एवं बी से बी भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया कि आरोपीगण से उसका स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा होने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।

08— मजबूत सिंह अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। फरियादी राजवती बाई उसकी बहन है। उक्त साक्षी ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि आरोपीगण ने उसकी बहन को 2 साल तक अच्छे से रखा उसके बाद खाना बनाने आदि को लेकर उसकी बहन से उसके पति प्रकाश एवं सास शिमलाबाई से कभी कभार वाद विवाद हो जाता था, इसके अलावा आरोपीगण ने कभी कोई घटना उसकी बहन की साथ कारित नहीं की है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी ने सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी स्वयं फरियादी राजवती बाई अ0सा01 तथा उसके भाई साक्षी मजबूत सिंह अ0सा02 द्वारा अभियोजन कहानी का कोई समर्थन न करते हुए फरियादी राजवती बाई द्वारा आरोपीगण से राजीनामा करना व्यक्त किया है।

09— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 23.05.2014 के करीब 1 साल पूर्व से थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम गोधन में फरियादिया राजवती के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादिया दहेज की मांग कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया। अतः अभियुक्तगण **शिमलाबाई, प्रकाश** को धारा 498(ए) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

12- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0